Proposal No. FP/UP/IND/23246/2016

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0– 1213 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक, मीरजापुर, सितम्बर 28 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जपनद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मैं0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण एवं 5715 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–349 / 11–सी–एफ0पी0 / यू0पी0 / आई0एन0डी0 / 23246 / 2016 दिनांक– 19.08.2018. तथा प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा का पत्रांक–987 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक 22.09.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक मामले में उल्लिखित कमियों / अभिलेखों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 4 प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–723 / मीरजापुर / 33 दिनांक 14.08.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को निर्देशित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्रांक–987 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक 22.09.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित कमियों / अभिलेखों का निराकरण कर निर्धारित प्रपत्र (टेबुलर फार्म) में निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है।

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न हैं, किन्तु प्रस्तावित स्थल को हाई लाइट से चिन्हित नहीं किया गया हैं।	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र में प्रस्तावित स्थल को हाई लाइट से चिन्हित कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 94 पर संलग्न आरक्षित वन भूमि की प्रीमियम एवं लीज रेंट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार स्पष्ट रूप से नहीं हैं। अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की पूर्ण एवं स्पष्ट वनचबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न करें।	प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट के भुगतान के सम्बन्ध में प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 134 पर संलग्न है।
3.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न हैं, किन्तु सारांश में वृक्षो के प्रजातिवार वैधानिक नाम का उल्लेख नहीं किया गया हैं तथा सारांश में ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार Grith wise सूची नहीं हैं।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची के सारांश में वृक्षो का प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम का उल्लेख कर दिया गया है तथा ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार Grith wise सूची कर दिया गया है।
4.	ऑनलाइन भाग–2 में 30 सेमी0 से अधिक ब्यास के 717 वृक्षो का ही उल्लेख किया गया हैं जो कि त्रुटिपूर्ण हैं। अतः इस विषमता को दूर करते हुये त्रुटि रहित सूची संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग–2 में 30 सेमी0 से अधिक ब्यास के वृक्षों की विषमता को दूर कर दिया गया है, जो पृष्ठ संख्या 214–215 पर संलग्न है।
5.	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि (115.874 हे0) के स्थान पर केवल 87 हे0 गैर वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न हैं एवं सारांश में अवनत भूमि का उल्लेख किया गया हैं तथा सारांश में प्रत्येक	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्रक्कलन पृष्ठ संख्या

	चरणों की वास्तविक धनराशि को सम्मिलित न कराते हुये Round में धनराशि को सम्मिलित करते हुये योगफल किया गया हैं जोकि त्रुटिपूर्ण हैं। अतः प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्रक्कलन संलग्न करते हुये ही सारांश संलग्न करें।	194–207 पर संलग्न है।
6.	ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का बिना सत्यापित किये ही रंगीन टोपीशीट अपलोड़ की गयी हैं। अतः सत्यापित रंगीन टोपीशीट अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का सत्यापित रंगीन टोपोशीट आनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
7.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु 115.874हे0 गैर वन भूमि के सापेक्ष केवल 87हे0 गैर वन भूमि ही वनीकरण हेतु उपयुक्त बताया गया है, तथा इसके अतिरिक्ति संलग्न प्रमाण पत्र में चयनित स्थल को अतिकमण एवं अधिभार से मुक्त के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। अतः भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संशोधित उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 208–210 पर संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवशेष 28.874 हे0 गैर वनभूमि का चयन कराकर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, इससे सम्बन्धित Geo Referenced Digital Map, SOI Toposheet, kml dile एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड़ करें।	इस बिन्दु के सम्बन्ध में सूचना पृष्ठ संख्या 210 पर संलग्न प्रमाण पत्र से स्पष्ट है।
9.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 109 पर संलग्न प्रमाण पत्र में 1.0 किमी0 की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण / रिजर्व बाघ / हाथी कोरिडोर न होने का उल्लेख हैं। क्या भारत सरकार द्वारा 1 किमी0 की परिधि को Eco Sensitive Zone घोषित किया है? यदि हॉ तो उसकी प्रति संलग्न करें अथवा प्रस्तावित स्थल 10 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने के कारण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड / राज्य वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुये पावती प्रस्ताव में संलग्न करें।	Eco Sensitive Zone के सम्बन्ध में भारत सरकार का राजपत्र दिनांक–20.03.2017 की प्रति पृष्ठ संख्या 146–178 पर संलग्न है।
10.	हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक –7(viii) में विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित हैं। अतः उचित विवरण फीड करें।	हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक–7 (viii) में उचित विवरण फिड कर दिया गया है।
11.	ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक 5 व 6 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया हैं।	ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक 5 व 6 में डाटा फीड कर दिया गया है।
12.	ऑनलाईन भाग–2 के Additional Information Detail में कोई प्रामण पत्र अपलोड नहीं किया गया हैं। अतः सभी आवश्यक प्रामण पत्र अपलोड़ करें।	ऑनलाईन भाग–2 के Additional Information Detail में प्रामण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
13.	ऑनलाईन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में जिला प्रोफाइल में 1980 से वनेन्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र भिन्न–भिन्न अंकित किया गया हैं। अतः एक समान उचित क्षेत्र अंकित करें।	ऑनलाईन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में जिला प्रोफाइल में 1980 से वनेन्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र एक समान अंकित कर दिया गया है।

14.	प्रस्ताव के सभी पृष्ठो पर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित नहीं हैं। अतः अंकित करते हुये संशोधित विषय सूची संलग्न करें।	प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए विषय सूची संशोधित कर दिया गया है।
15.	प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग–2 व मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाने वाला भाग–3 में संस्तुति नहीं की गयी हैं। अतः संस्तुति करते हुये ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग–2 में तथा मुख्य वन संरक्षक द्वारा भाग–3 में विचार हेतु संस्तुति कर दिया गया है।
16.	ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक –13 (i) में Present Qwner File के Column में अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड़ नहीं किया गया हैं।	ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक –13 (i) में Present Qwner File के Column में अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
17.	प्रस्ताव में 5715 वृक्षो के पातन की अनुमति का उल्लेख किया गया हैं। अतः स्पष्ट करें कि क्या विषयगत परियोजना में 5715 वृक्षो का पातन किया जाना अपरिहार्य हैं? ऐसी जानकारी प्राप्त हुयी हैं कि वृक्षो का पातन नहीं किया जाना हैं। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक–06.09.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण में उल्लिखित 5715 वृक्षों का पातन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जाना है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा की उक्त आख्या तथा इस स्तर से जाारी निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 12.07.2018 (जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 20–21 पर अंकित है) के आलोक में प्रश्नगत प्रस्ताव तीन प्रतियों में एतद्सह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या–   अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(डा0 प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

Proposal No. FP/UP/IND/23246/2016

भाग— III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

(19) (202)

14.		स्थल, जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां / नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये सर्वे को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ (दिनांक 12.7.2018) संलग्न है।
15.		क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं।	बिन्दु सं० 14 के अनुसार
16.		प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विषेष सिफारिषें।	निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

तिथि 01-8-2018

स्थान मीरजापुर

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
हस्ताक्षर मीरजापुर

नाम

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा की आख्या दि० 22-9-18 सपठित निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 12-7-2018 (पृष्ठ सं० 20-21) के आलोक में विचार करने की संस्तुति के साथ अग्रसारित।

दिनांक- 28-9-2018
मीरजापुर

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर